न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या :– 14/2024

प्रार्थी

01. सवाईराम पुत्र प्रतापाराम जाति सुथार निवासी खोतावास पटवार क्षैत्र अरणियाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राणाराम पुत्र प्रतापाराम
2. रिड़मलराम पुत्र प्रतापाराम
3. गंगाराम पुत्र प्रतापाराम
4. जसाराम पुत्र प्रतापाराम
5. मोहनी पुत्री प्रतापाराम
6. लीला पुत्री प्रतापाराम
7. प्रमीला उर्फ प्रमेश्वरी पुत्री प्रतापाराम
8. धापू पत्नी प्रतापाराम फौत के कायम मुकाम वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 तक सभी जाति सुथार निवासी खोतावास पटवार क्षैत्र अरणियाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान
9. मानाराम पुत्र नरींगाराम जाति जाट निवासी खोतावास पटवार क्षैत्र अरणियाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
10. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना।
11. तहसीलदार धोरीमना
12. उप पंजीयक धोरीमना

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा।

तारीख रजू:– 19.01.2024

अधिवक्तागणः–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 ता 4

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांकः– 20.03.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.13 16:41:24 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188, 207 व 209 रा0का0अधि0 के तहत वास्ते घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा का पेश किया है जो विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है और वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टाय मामला प्रार्थी के पक्ष में है, आवेदन पत्र के प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति परिशिष्ट "ए" हैं जो आवेदन पत्र का अभिन्न अंग व अंश है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 05 तक की संयुक्त खातेदारी की भूमि **तहसील धोरीमना पटवार मण्डल अरणियाली राजस्व 01. ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 193 खसरा संख्या 13, 14, 15 क्षेत्रफल क्रमशः 0.2914, 0.0809, 0.4775 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.8498 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन ढाणी, बारानी दोयम, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 07,09 तक की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल अरणियाली 02. राजस्व ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 208 खसरा संख्या 408/335 क्षेत्रफल 8.7073 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जो आगामी पदों में वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जाएगा।** सलग्न नकल जमाबन्दी व खसरा नक्शा साथ पेश है । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 तक जाति से सुथार होने, हिन्दू होने से हिन्दू विधि से शासित है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01से 08 की वंशावली निम्न प्रकार से हैं :-

खेताराम

प्रतापाराम पुत्र जोगाराम

सवाईराम राणाराम रिड़मलराम गंगाराम जसाराम मोहनी लीला प्रमीला धापू

वादग्रस्त आराजी वक्त सेन्टलमेन्ट में खेताराम पुत्र नवलाराम के नाम दर्ज हुई, खेताराम पुत्र नवलाराम फौत होने से जोगाराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज हुई, जोगाराम पुत्र खेताराम फौत होने से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के पिता व पति प्रतापाराम पुत्र जोगाराम के नाम दर्ज हुई। प्रतापाराम फौत होने से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 08 के नाम दर्ज हुई, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पैतृक व पुस्तैनी हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 07 की माता धापूदेवी फौत होने से वादग्रस्त आराजी में सभी का बराबर हक हिस्सा हो जाता हैं पैतृक सम्पत्ति में सभी खातेदारों का बराबर हक हिस्सा बनता है। विप्रार्थी संख्या 05 से 07 ने अपना पैतृक सम्पूर्ण हक त्याग कर दिया। संयुक्त खाते की भूमि में कोई भी सह-खातेदार किसी दूसरे एक सह – खातेदार के हक में अपना हक त्याग नहीं कर सकता अपितु सभी सह खातेदारों के पक्ष में [illegible] सकता है। वादग्रस्त आराजी **पटवार मण्डल अरणियाली राजस्व 01. ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 193 खसरा संख्या 13, 14, 15 क्षेत्रफल क्रमशः 0.2914, 0.0809, 0.4775 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.8498 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन ढाणी, बारानी दोयम, 02.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:24 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 208 खसरा संख्या 408/335 क्षेत्रफल 8.7073 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम संयुक्त खातेदारी पैतृक, पुस्तेनी है जिसमें विप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने अपना सम्पूर्ण हक त्याग दिनांक 09.09.2022 को कर दिया जो सभी सह खातेदारों के पक्ष में बराबर होता हैं इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी , हक हिस्सा की भूमि है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा व घोषणा नहीं की हुई है एवं राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाती दर्ज है, साथ ही वर्तमान में भूमि की कीमतों में आई बढोतरी के मध्यनजर विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते है व अन्य से भी करवाते हैं, साथ ही भूमि संयुक्त होने से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले नहीं होने व बंटवारा नही होने के कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का विधिवत् रूप से बंटवाड़ा नहीं होने से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है, विप्रार्थी संख्या 01 से 04 तक प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है। विप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अनबन होने के कारण विप्रार्थीगण के हिस्से की समस्त भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है तथा अजनबी व्यक्तियों को प्रार्थी के कब्जे काश्त में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, विप्रार्थी संख्या 05 से 07 ने अपना सम्पूर्ण हक त्याग दिया, विप्रार्थी संख्या 08 फौत होने से विप्रार्थी संख्या 05 से 08 का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित किया जाएं इस तथ्य को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण की सामलाती भूमि में से अपने कुल रकबे में 1/5 हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम अलग दर्ज करवाना चाहते है तथा वादी विवादित आराजी का बंटवाड़ा भूमि की उपजाऊपन, धोरा, समतल/डेरी, सड़क पर समान भाग, आने–जाने रास्ते की सुविधा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए भूमि का बराबर बंटवारा करवाकर अपने–अपने हिस्से की भूमि शेष भूमि से बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग करवाने के अधिकारी है साथ ही वादी कुल रकबे का 1/5 हिस्सा अनुसार लगान का बंटवाड़ा करवाकर अलग रंग भरना चाहते है जिसके लिए हस्तगत वाद वास्ते हिस्से की घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है वाद की सुरक्षार्थ व वाद बाहुलता रोकने के लिए हस्तगत आवेदन की आवश्यकता पड़ी है। वादग्रस्त भूमि पर से प्रार्थी को विप्रार्थीगण व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी के वाद व आवेदन का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी न्याय पाने से वंचित रह जावेगें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन हो जायेगा और प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण करने से वंचित रह जायेगा और प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिस क्षतिपूर्ति का भविष्य में नकदी में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में नहीं जारी की जाती है तो प्रार्थी को विप्रार्थी से अधिक कठिनाई व असुविधा होगी, न्यायहित में प्रार्थी आदि पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी बनता है। अन्य तर्क वक्त बहस वकील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से मौखिक रूप से निवेदन किये जावेंगे। अतः निवेदन है कि तफसीला दावा, प्रार्थी के पक्ष में एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि **पटवार मण्डल अरणियाली राजस्व 01. ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 193 खसरा संख्या 13, 14, 15 क्षेत्रफल क्रमशः 0.2914, 0.0809, 0.4775 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 0. 8498 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन ढाणी, बारानी दोयम, 02. राजस्व ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 208 खसरा संख्या 408/335 क्षेत्रफल 8.7073 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम** की **भूमि के** कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण, उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि व उनके अजनबी खरीददार/दानग्राहिता व उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न ही जबरन कब्जा कर काश्त ही करे और न ही राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन ही करे, न ही हस्तान्तरण करें, न ही बेचान /दान/वसीयत, रहन, समर्पण आदि करें। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य न्यायसंगत सहायता जो प्रार्थना पत्र की जांच से धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हो वो दिलवाई जावे । शपथ पत्र साथ पेश है। का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. **प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरीए रजिस्ट्रर्ड डाक से तलब किया गया।**

3. **अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** आवेदन पत्र के पद संख्या 01 गलत व अस्वीकार होने का जबाब यह हैं कि प्रार्थी इस वाद में सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, वाद क्यासों के आधार पर झूठा पेश किया है जो खारीज योग्य है। आवेदन के पद संख्या 02 रेकर्ड मुजब है। आवेदन के पद संख्या 03 गलत व अस्वीकार होने से अस्वीकार है। आवेदन पत्र के पद संख्या 04 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि प्रतापाराम के नाम से खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं हुई थी यह बात गलत व मनगढ़त तथ्य अंकित किये गये है। आवेदन पत्र के पद संख्या 05 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि मौके पर प्रार्थी का हिस्से अनुसार कब्जा नहीं है। कोई हक हिस्से से अधिक नहीं बनता है। आवेदन पत्र के पद संख्या 06 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि वाद में वर्णित हिस्सा वादी/ प्रार्थी का नहीं बनता है। गलत अंकित करवाया है। आवेदन पत्र के पद संख्या 07 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह है कि वादी / प्रार्थी के हक हिस्से की व कब्जा काश्त में हस्तक्षेप की बात गलत अंकित करवाई है। अजनबी क्रेता को बेचान करने की बात गलत है। किसी अजनबी को बेचान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से हस्तगत आवेदन व वाद पेश किया है जो खारीज योग्य है। आवेदन पत्र के पद संख्या 08 गलत होने अस्वीकार का जबाब यह हैं कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने की बात गलत अंकित करवाई गई है। वाद व आवेदन में कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है। आवेदन पत्र के पद संख्या 09 कानुनी है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु – प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त आराजी **तहसील धोरीमना पटवार मण्डल अरणियाली राजस्व 01. ग्राम अरणियाली के खेत खाता संख्या 193 खसरा संख्या 13, 14, 15 क्षेत्रफल** क्रमशः 0.2914, 0.0809, 0.4775 **हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 0. 8498 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर** मुमकिन ढाणी, **बारानी दोयम, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 07,09** तक की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील **धोरीमना पटवार मण्डल अरणियाली 02. राजस्व ग्राम खोतावास के खेत खाता संख्या 208**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना
सत्यमेव जयते
जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 408/335 क्षेत्रफल 8.7073 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी काल्पनिक हिस्सा चाह रहा है जबकि विप्रार्थी संख्या 02से 04 सद्भावी काश्तकार है, विप्रार्थी संख्या 02 से 04 रेकर्डेड खातेदार है। इस प्रकार से 1. प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में है। 2.सुविधा का सन्तुलन :– वादग्रसत आराजी में प्रार्थी रिकॉर्डेड व हिस्सा माफिक खातेदार नही होने से सुविधा का सन्तुलन पक्ष में हैं जबकि विप्रार्थी संख्या 02 से 04 सदभावी क्रेता है इसलिए सुविधा का सन्तुलन विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में है। 3.अपूर्णिय क्षति :– विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के घर कार्य, व खेती कार्य में बाधा डालने के लिए प्रार्थी ने वाद व आवेदन पेश किया है प्रार्थी के बजाय विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को अपूर्णिय क्षति हो रही है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 से 04 का जबाब रेकर्ड पर लेकर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना मय भारी खर्चा हर्जा खारीज फरमाया जावें का जबाब सामिल पत्रावली किया गया।

4. धारा 212– **व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध–**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये कि –

(क). किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है या

5. प्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। मूल में वाद तक वादी को वादग्रस्त आराजी से बैदखल कर देंगे इसलिए वादग्रस्त आराजी का ताफैसला मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाएं रखी जाएं। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि बेचान करने के लिए आमादा है। माननीय न्यायालय का कर्त्तव्य होता हैं कि वादग्रस्त आराजी का संरक्षण करें व उसकी रक्षा करें। तीन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

6. अप्रार्थीगण वकील ने निवेदन हैं कि वाद मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जिसमें सफलता मिलने की कोई संभावना हैं अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए आवेदन पेश किया है। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं आवेदन मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

7. **दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा** 2022-23 (Supp.) RRT 699 " **राजस्थान प्रस्तुत किये जिनका हमने सम्मान पूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया। काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 – यथावत् स्थिति रखने का आदेश तथा आगामी तारीख नियत की राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील काल बाधित थी फिर भी आलोच्य आदेश का क्रियान्वन स्थगित किया– [illegible] गुण पर निर्णीत होने हेतु अभी भी विचाराधीन हैं– प्रकरण के निस्तारण तक [illegible] सुरक्षित रखना आवश्यक हैं– निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा यथावत् स्थिति [illegible] का पक्षकारों को निर्देश दिया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किये जिनका हमने सम्मान पूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में उपयोग किया।

8. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी अस्थाई व्यादेश के मूलभूत सारतत्वों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है लिहाजा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को हम इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

—: : आदेश : :—

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति/बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner